# बिहार विधान सभा

-----------

## अष्टादश बिहार विधान सभा

## तृतीय सत्र

-----------

## कार्य सूची

23 जुलाई, 2026

11:00:00

-----------

**1. प्रश्नोत्तर**

(1) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

**2. ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य**

(1) श्री विमल राजवंशी, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

(2) श्री आलोक कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सहकारिता विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

**3. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना**

(1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा" वर्ष 2017-18 से 2022-23 के "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" तथा वर्ष 2024-25 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदनों को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा जाना ।

(2) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा" वर्ष 2017-18 से 2022-23 के "निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल" तथा वर्ष 2024-25 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।"

(3) ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा-35(2) के अंतर्गत अधिसूचना सं०-5736799, दिनांक-09.06.26, अधिसूचना सं०-5818886, दिनांक-24.06.26; अधिसूचना सं०-5827307, दिनांक-25.06.26; अधिसूचना सं०-5827238, दिनांक-25.06.26; अधिसूचना सं०-5773433, दिनांक-16.06.26; अधिसूचना सं०-5846671, दिनांक-01.07.26; अधिसूचना सं०-5818887, दिनांक-24.06.26; अधिसूचना सं०-5841929, दिनांक-01.07.26 तथा संकल्प सं०-5736787 दिनांक-09.06.26; संकल्प सं०-5827214 दिनांक-25.06.26; संकल्प सं०-5846791 दिनांक-01.07.26 एवं संकल्प सं०-5846794 दिनांक-01.07.26 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(4) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 की धारा-25(2) के तहत "बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(5) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-28 (3) के तहत "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2024" एवं "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती (संशोधन) नियमावली, 2025" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(6) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा-68(3) के तहत "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2026" एवं "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद (संशोधन) नियमावली, 2026" की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(7) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008, सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013, सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2026 एवं सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(8) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-78(2) के तहत भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार का वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(9) पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(10) खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) के तहत "बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026" की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

4. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।

5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

**मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)**

6. **वित्तीय कार्य**

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [ग्रामीण विकास विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा तथा शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा लिया जायेगा।

[मांग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।]

7. **विधायी कार्य**

**राजकीय (वित्तीय) विधेयक**

(1) **"बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026"**

(i) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(ii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(iii) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026" पर विचार हो।

(iv) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

8. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

**श्रीमती पूनम सिन्हा**
**प्रभारी सचिव**
**बिहार विधान सभा**

**पटना-800015**
**दिनांकः22 जुलाई 2026**